

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई-33/रेडियो./एम 155/2019/

दिनांक:

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/सहा.रेडियो./सीधी भर्ती-2013/2017/262 दिनांक 28.3.2017 एवं क्रमांक 267 दिनांक 30.3.2017 एवं क्रमांक 275 दिनांक 7.4.2017 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अन्तर्गत सुलोचना को सहायक रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। कार्मिका ने 2 वर्ष की परिवीक्षावधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है एवं उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश /अनुपरिथित नहीं रही है तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत एतद द्वारा स्थायीकरण किया जाता है। कार्मिका को परिवीक्षावधि पूर्ण करने की दिनांक से पद के पे बेण्ड 5200-20200 ग्रेड पे 2800 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

एस.बी.सिविल रिट पिटीशन 9878/2015 सुलोचना बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 1.2.2017 के द्वारा निर्देशित किया है कि सुलोचना की सेवा की गणना इनसे कनिष्ठ कार्मिक के कार्यग्रहण तिथि से की जाकर सेवा के काल्पनिक लाभ दिये जायें तथा वास्तविक लाभ इनकी कार्यग्रहण तिथि से दिये जायें।

नाम कर्मचारी, पिता का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	कार्य ग्रहण दिनांक	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की दिनांक	वास्तविक कार्य ग्रहण दिनांक	नियत वेतनमान दिये जाने की दिनांक	नकद लाभ दिये जाने की दिनांक	परिवीक्षा काल मे अवेतनिक अवकाश
सुलोचना पुत्री श्री बृजमोहन बेनीवाल	सवाई मानसिंह चिकि जयपुर	30 7 83	3 6 2013 (कोर्ट के आदेश अनुसार)	2 6 2015	10 4 2017	3 6 2015	10 4 2017	शून्य

नोट :- कार्मिका की माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यग्रहण तिथि 3.6.2013 से गणना करने पर दिनांक 2.6.2015 को परिवीक्षाकाल पूर्ण होने तथा 3.6.2015 से 9.4.2017 तक काल्पनिक एवं दिनांक 10.4.2017 से नकद लाभ दिया जायेगा।

कार्मिका का वेतन नियतन संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा।

//

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक : ई-33/रेडियो./एम 155/2019/240

दिनांक: 29.07.19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।
2. सुलोचना सहायक रेडियोग्राफर को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते अपलोड।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर